राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: NHM/RCH/JSY/DBT/2015/ 169 दिनांक: 31/7/15

परिपत्र

जिला कलक्टर, समस्त जिले
संयुक्त निदेशक (समस्त संभाग)
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक

जेएसवाई एवं शुभलक्ष्मी योजना के **"OJAS"** (Online Jsy And Shubhlaxmi) Software Development के दौरान कुछ विशेष परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा निर्देश जेएसवाई की वर्तमान प्रावधानों में सम्मिलित नही होने के कारण इस तरह के प्रकरणों को दिनांक 27.07.2015 को EC में निर्णय हेतु प्रेषित किया गया था। अतः ऐसे प्रकरणों में दिये गये निर्णयानुसार इस कार्यालय के पूर्व परिपत्र क्रमांक NHM/RCH/JSY/DBT/2015/158 दिनांक:21.07.2015 की निरन्तरता में निम्न दिशा निर्देश प्रदान किये जाते है।

1. इस सॉफ्टवेयर का नाम निर्देशानुसार भविष्य में OJAS (Online JSY And Shubhlaxmi) रहेगा एवं इसी नाम से समस्त पत्राचार तथा निर्देश जारी किये जाते रहेगे।
2. यदि लाभार्थी द्वारा शुभलक्ष्मी योजना की प्रथम प्रोत्साहन राशि नही ली जाती है, तो बालिका जन्म के प्रोत्साहन के मध्यनजर शुभलक्ष्मी योजना की अगली किश्त की प्रोत्साहन राशि 1 वर्ष तक के सभी टीके लगवाने एवं बालिका के जीवित होने के प्रमाण–पत्र के उपलब्ध कराने पर माता के बैंक खाते में दी जा सकेगी।
3. यदि कोई लाभार्थी LAMA अथवा Abscond हो जाता है तो इसे जेएसवाई का भुगतान नही किया जा सकता है इस स्थिति का उल्लेख चिकित्सा अधिकारी द्वारा इनडोर टिकिट में दिनांक व समय लिखते हुए किया जावे परन्तु बालिका के हित में शुभलक्ष्मी योजना के भुगतान हेतु प्रकरण बनाकर राज्य स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को भुगतान किया जावेगा।
4. प्रसव के बाद डिस्चार्ज से पूर्व प्रसूता की मृत्यु होने की स्थिति में अगर बैंक खाता उपलब्ध है तो राशि खाते में हस्तान्तरित की जावे और अगर नही है तो जरूरी सत्यापन के पश्चात् प्रसूता के पति को राशि बैंक खाते में भुगतान की जा सकती है। विधवा होने की स्थिति में यह राशि महिला की सम्पत्ति के वैधानिक उत्तराधिकारी को दी जा सकती है।
5. शुभलक्ष्मी योजना में बालिका के जीवित जन्म पर प्रोत्साहन राशि माता को दिये जाने का प्रावधान है परन्तु डिस्चार्ज से पूर्व माता की मृत्यु होने पर यह प्रोत्साहन राशि माता के बैंक खाते में की जा सकती है उक्त खाते का दावेदार ही यह राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
6. कोई भी केस नियत समय पर डिस्चार्ज कर दिया जाता है लेकिन प्रोत्साहन राशि प्राप्त नही करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में अगर बैंक खाता पूर्व से ही उपलब्ध है तो राशि हस्तान्तरित कर दी जाये और खाता संख्या नही है तो लाभार्थी से राशि नही लेने बाबत लिखित में प्राप्त किया जावे। वह बाद में कभी भी यह राशि प्राप्त करने का हकदार नही होगा।
7. अगर कोई लाभार्थी 48 घंटे/निर्धारित अवधि के ठहराव के बाद भी स्वेच्छा से डिस्चार्ज के समय बैंक खाता संख्या आदि नही देकर प्रोत्साहन राशि प्राप्त नही करना चाहता है एवं कुछ दिन बाद भुगतान प्राप्त करने हेतु उपस्थित होता है तो लाभार्थी को एक बार डिस्चार्ज के तुरन्त बाद पुनः आशा/एएनएम के माध्यम से सूचित कराया जावे और डिस्चार्ज समय के **सात दिवस** तक भी खाता संख्या उपलब्ध नही कराता है तो भुगतान नही दिया जा सकता है।
8. ई–शुभलक्ष्मी सॉफ्टवेयर में 1 अगस्त, 2015 के बाद सीएचसी एवं इससे उच्चतर संस्थानों पर रिकॉर्ड का संधारण नही किया जायेगा परन्तु पीएचसी, उपकेन्द्र व निजी अधिकृत चिकित्सा संस्थानों के रिकॉर्ड पूर्वत इन्द्राज किये जाते रहेगे।

9. प्रायः यह भी देखा गया है कि कुछ स्थानों पर जेएसवाई व शुभलक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पति/परिजन आदि का बैंक खाता संख्या दे दिया जाता है। यह स्पष्ट तौर पर योजना के प्रावधानों के विपरित है इस तरह के प्रकरणों में नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। अतः बैंक खाता संख्या प्रसूता का ही होना चाहिए इस हेतु विशेष ध्यान रखा जावें।
10. OJAS सॉफ्टवेयर में पूर्व में J-1 एवं J-2 प्रपत्रों के अनुसार कार्यवाही की जानी थी परन्तु अब सॉफ्टवेयर में भुगतान प्रक्रिया को सरल करने की दृष्टि से J-2 प्रपत्र में से डिस्चार्ज एवं ट्रांसपोटेशन को अलग कर J-3 बनाया गया है इससे समस्त प्रक्रिया अधिक आसान हो जायेगी।
11. जिन जिलो में पूर्व में किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान किया जा रहा है इन्हे तुरन्त प्रभाव से बन्द कर दिया जाये एवं 31 जुलाई, 2015 रात 12:00 बजे से होने वाले समस्त प्रसवों की प्रोत्साहन राशि का भुगतान OJAS सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जावेगा। 31 जुलाई, 2015 रात 12:00 बजे से पूर्व की समस्त प्रोत्साहन राशि एवं कोई भी बकाया भुगतान अगर है तो आगामी सात दिवस में पूर्व की भांति A/c Payee चैक के माध्यम से की जाकर निस्तारित की जावे।
12. जिन जिलो में प्राकृतिक आपदा के कारण नेटवर्क अथवा विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है इन्हे निर्देशित किया जाता है कि वे स्थानीय साइबर कैफे/ई–मित्र से प्रविष्टियां 15 अगस्त, 2015 तक नियमानुसार कार्यालय व्यय से आवश्यक भुगतान करते हुए कर सकते है परन्तु ध्यान रहे कि सॉफ्टवेयर के आई.डी. व पासवर्ड सुरक्षित रखे जावे एवं किसी को भी शेयर नही किये जावे।
13. संस्थान अपने अधीन उपलब्ध संसाधन 104/108 का पूर्ण उपयोग करेगे जहां जिला मुख्यालयों पर 104 नही है तो अपनी बैस एम्बूलेंस तथा निजी पंजीकृत एम्बूलेंस आदि का JSSY के प्रावधानों के अनुसार प्रसूताओं को लाने व पुन. घर छोड़ने हेतु पेनल बनाकर उपयोग करेगे।

जेएसवाई के समस्त प्रावधान यथावत रहेगे, नवीनतम दिशा निर्देश प्रभावी माने जावे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है

निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रसारित करावे।
3. निदेशक, वित्त।
4. निदेशक–आरसीएच।
5. परियोजना निदेशक– एमएच।
6. अतिरिक्त राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी प्रभारी जिला/उपजिला/सैटेलाइट अस्पताल, समस्त जिले।
8. जिला लेखा प्रबंधक, समस्त जिले।
9. खण्ड मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
10. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, समस्त जिले।
11. सलाहकार, आई.टी. को पालनार्थ हेतु।
12. सर्वर रूम।
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान